

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 22.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 18 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना महुली पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना मेहदावल पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- *थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा ऑटो रिक्शा के गड्ढे में गिर जाने के कारण 02 घायल व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बनकटिया से कालर जितेन्द्र(ई-रिक्शा चालक) पुत्र रामवृक्ष सा0 मधुबन थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से ई-रिक्शा के गड्ढे में गिर जाने के कारण स्वयं सहित दुर्घटना में घायल एक अन्य व्यक्ति (1.गौतम पुत्र रामदीन सा0 नौवाडाड़ थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के दुर्घटना में घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर कर दुर्घटना में घायल उक्त दोनों व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 जयगोपाल यादव, म0आ0 ब्यूटी तिवारी, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 162 वाहनों से 2,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 162 वाहनों से 2,14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 284/2026 धारा 69,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता राहुल पुत्र लालजी निवासी जैती थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 22.04.2026 को कांटे चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व मारपीट करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, हे0का0 अरविन्द कुमार यादव ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0स0 301/2026 धारा 75(2),64(1),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता अमित कुमार पुत्र कमलेश निवासी काजीपुर जोकहिया मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 22.04.2026 को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 21.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म व मारपीट करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- अपराध निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, हे0का0 अरविन्द कुमार यादव ।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0स0 287/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता नितिन कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी दलेलगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 22.04.2026 को ग्राम दलेलगंज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 18.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.04.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया ।

***गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार तिवारी, का0 श्यामनरायन, म0का0 प्रतिक्षा यादव ।